



## कार्यालय, परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

e-Mail Id- atmajmt@gmail.com

(किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना)

“पहले आओ पहले पाओ के आधार पर”

**वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFMS) मोटे अनाज योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र एवं उपादान वितरण के लिए कृषकों से आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना:-**

जामताड़ा जिले के कृषकों को सूचित किया जाता है कि कृषि कार्य को बढ़ावा देने बहु फसलीय कृषि का विकास एवं छोटे इकाई वाले क्षेत्रों के विकास के लिए सिंचाई एवं कृषि उपादान छोटे एवं सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/कृषक समूहों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना है जिसमें निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है-

### NFSM (Coarse Cereal)

| Sl No. | Interventions                                                                      | Approved rate of assistance                          | Phy. Target |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | Micronutrients                                                                     | Rs. 500/ha.or 50% of cost whichever is less          | 55          |
| 2      | Bio- Fertilizer                                                                    | Rs. 300/ha.or 50% of cost whichever is less          | 70          |
| 3      | Plant Protection Chemicals & Bio-agents                                            | Rs. 500/ha.or 50% of cost whichever is less          | 85          |
| 4      | Weedicides                                                                         | Rs. 500/ha.or 50% of cost whichever is less          | 20          |
| 5      | Maize Sheller for SC/ ST Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary | Rs. 10000/-per unit or 50% of Cost whichever is less | 3           |
| 6      | Maize Sheller for other farmers                                                    | Rs. 8000/-per unit or 40% of Cost whichever is less  | 1           |

### आवेदन पत्र जमा करने हेतु आवश्यक निदेश:-

- आवेदन पत्र पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक एवं त्रिस्तरीय जन प्रतिनिधि की अनुशंसा अनिवार्य होगी।
- इस योजना का लाभ वैसे किसान ले सकेंगे जो पिछले तीन वर्षों में सरकारी किसी भी संस्थान से कृषि यंत्र का लाभ न लिया हो।
- पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक-12.02.2023 तक कार्यदिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक स्वीकार किये जा सकेंगे। 12.02.2023 के पश्चात किसी भी परिस्थित में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विहित प्रपत्र Website- <https://jamtara.nic.in/> या <https://www.atmajamtara.org.in/> प्राप्त किया जा सकता है।
- NFSM Coarse Cereal अन्तर्गत राज्य स्तर से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत अनुदान की राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
- आवेदन के साथ आधार कार्ड, जमीन रसीद, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, संलग्न करना होगा।
- विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक से सम्पर्क किया जा सकता है।  
कार्यालय का पता-परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा, संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, सखेलडीह, जामताड़ा।

परियोजना निदेशक,  
आत्मा, जामताड़ा।

ham  
20/1/23